

समाहरणालय, औरंगाबाद ।

(जिला स्थापना शाखा)

पत्रांक...../स्था0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।

सेवा मे,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, औरंगाबाद ।
सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारी, औरंगाबाद ।
सभी लोक उपक्रमों (बोर्ड, सोसाईटी, पर्वद, निगम आदि) के
कार्यालय प्रधान औरंगाबाद ।

औरंगाबाद, दिनांक.....2018

विषय :- चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी जमा करने हेतु वांछित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-16173, दिनांक-20.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करना है इस हेतु प्रारंभिक तैयारी के क्रम में जिला के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे वर्ग 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची संलग्न विहित प्रपत्र (Excel sheet Format) में तैयार कर सॉफ्ट कॉपी (सीडी0) के साथ दिनांक-15.01.2018 तक जिला स्थापना शाखा, औरंगाबाद में इस हेतु गठित कोषांग में निश्चित रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। सूची उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। विहित प्रपत्र (Excel sheet Format) की सॉफ्ट कॉपी जिला के वेबसाईट- www.aurangabad.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि चल एवं अचल सम्पत्ति की विवरणी जमा करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों में उनकी सूची में नाम अंकित किया जाय जो फरवरी 2018 तक सेवा में रहेंगे तथा संविदा पर नियुक्त नहीं हों, प्रतिनियुक्त नहीं हो तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मी नहीं हों। प्रतिनियुक्त कर्मियों की सूची मूल पदस्थापन कार्यालय द्वारा भेजा जायेगा।

अनुलग्नक :- 2 (दो) पन्ना ।

विश्वासभाजन

६०/-


जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद ।

ज्ञापांक ०५ / स्था०, दिनांक ०२/०१/१८

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, औरंगाबाद/जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकाश पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अपने स्तर से उक्त सूचना भेजकर उनसे अनुपालन सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप कोषागार पदाधिकारी, दाउदनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का विपत्र माह जनवरी 2018 का पारित किये जाने के पूर्व चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित सूची जमा करने का प्रमाण पत्र जिला स्थापना शाखा, औरंगाबाद से प्राप्त कर लिया जाय।


जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

